बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

विश्वविद्यालय के पत्रांक- पी.पी.यू. 556/18, दिनांक- 07.09.2018 के द्वारा आर.लाल महाविद्यालय अलीनगर, नालन्दा में की गई थी और पदेन जनप्रतिनिधि सदस्य के लिए विधान पार्षद का मनोनयन किया गया था, लेकिन विडंबना है कि चन्द महीनों में ही स्वच्छ छवि के सदस्य का मनोनयन पत्रांक-पी.पी.यू.-792/18, दिनांक- 29.11.2018 के द्वारा रद्द कर पुन: नया अधिसूचना जारी किया गया। इस अधिसूचना में पूर्व से हटाये गये विधान सभा सदस्य को पदेन जनप्रतिनिधि सदस्य मनोनीत किया गया है जिनपर गंभीर आरोप की जांच चल रही है।

अत: मैं सरकार से ऐसे में रद्द किये गये तदर्थ समिति (पी.पी.यू. पत्र सं.- 556/18) को अविलम्ब बहाल करने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- हीरा प्रसाद बिन्द, स.वि.प. एवं
ह./- सुनील कुमार सिंह, स.वि.प.

ज्ञापांक :- वि0प0अ0प्र0-68/2019- 413 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 13.02.2019

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, माननीय उप-मुख्यमंत्री, बिहार सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 18.02.2019 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 13.02.2019
(नवल किशोर सिंह)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार में कृषि रोड मैप का शुभारंभ, व्यापक एवं बहुआयामी कृषि रोड मैप से किसानों के माली हालत में सुधार, विहारी व्यजनों के लक्ष्य को प्राप्त करने एवं किसानों की समस्या एवं उसके समाधान हेतु किसान आयोग का गठन किया गया है। किसान आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों के साथ-साथ पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। किसान आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य लोगों का एक माह मार्च 2016 का वेतन आदि का भुगतान नहीं किया गया है।

अत: मैं अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के मार्च 2016 का वेतन आदि का भुगतान करने के लिए सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सी.पी.सिन्हा,
स.वि.प.

ज्ञापांक :- वि0प0अ0प्र0-69/2019- 415 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 13.02.2019

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, माननीय उप-मुख्यमंत्री, बिहार सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ कृषि विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 18.02.2019 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 13.02.2019
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

सुपौल जिला के किशनपुर प्रखण्ड अन्तर्गत थरबिट्टा से पीरगंज होते हुए दिघिया जानेवाली सड़क जो एक साल पहले बनी थी, जगह-जगह पर क्षतिग्रस्त हो गई है। उक्त सड़क मार्ग में पीरगंज के पासे पुल के दोनों तरफ मिट्टी का कटाव हो जाने के चलते पुल से यातायात अवरुद्ध हो गया है जिससे एक बड़ी आबादी यातायात की सुविधा से वंचित हो गई है। आगामी लोक सभा चुनाव के मद्देनजर इस सड़क का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है।

अत: उक्त सड़क के शीघ्र निर्माण के संबंध में मैं सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- संजीव कुमार सिंह,
स.वि.प.

ज्ञापांक :- वि0प0अ0प्र0-46/2019- 363 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 06.02.2019

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, माननीय उप-मुख्यमंत्री, बिहार सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 18.02.2019 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 15.02.2019
(नवल किशोर सिंह)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

पटना में गंगा नदी के महात्मा गांधी सेतु पर सुपर स्ट्रेक्चर के निर्माण कार्य में अनुबन्ध कान्ट्रैक्ट के द्वारा निर्माण कार्य में निम्न गुणवत्ता वाले स्टील का प्रयोग किया जा रहा है। अनुबंध के अनुसार जंग-प्रूफ अधिक ताकतवार स्टील के स्थान पर परियोजना के 70 प्रतिशत लागत एक हजार करोड़ रुपये की 70 हजार एम.टी. सामान्य गैर जंग प्रुफ स्टील खरीद की जा रही है। ऐसा करना ना अनुबन्ध का उल्लंघन है बल्कि जब दो अधिकारियों तत्कालीन कार्यपालक अभियंता श्री सुनील कुमार सिंह एवं एक्जीक्यूटिव रेसिडेंट इंजीनियर श्री आई.एन.मिश्रा ने जंग प्रुफ स्टील ना होने पर लिखित विरोध दर्ज की तो दोनों अभियंता को सेतु पुर्ननिर्माण कार्य से ही हटा दिया गया है। सुपर स्ट्रेक्चर को टुकड़ों-टुकड़ों में सेगमेंट को काटने की जगह पुल की आध्0े से अधिक लम्बाई के मलबे को नदी में गिराया जा रहा है जो अनुबन्ध के विपरीत है। सेतु के एक लेन को नवम्बर, 2018 तक पूरा हो जाना था, परन्तु अभी काफी समय और लगेगा। निर्माण कार्य का कोई पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग नहीं हो रही है।

उपरोक्त परिस्थितियां अत्यंत ही गंभीर हैं तथा बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की ओर संभावनाओं का इशार कर रही है। मैं सरकार से इस संबंध में सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- प्रेम चन्द्र मिश्रा,
स.वि.प.

ज्ञापांक :- वि0प0अ0प्र0-77/2019-434(1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 06.02.2019

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, माननीय उप-मुख्यमंत्री, बिहार सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पथ निर्माण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 18.02.2019 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह
(नवल किशोर सिंह) 06.02.2019
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य सरकार द्वारा अनुदानित शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के बकाये सभी अनुदान, उनके संस्थानों से प्राप्त होने वाले आन्तरिक आय का 70 प्रतिशत वेतन में तथा 30 प्रतिशत राशि आधारभूत संरचना समृद्धि हेतु कर्णांकित करने का निर्णय लिया गया है, जो एक सराहनीय कदम है। आपकी अध्यक्षता में सभी शिक्षक/ स्नातक प्रतिनिधियों के साथ-साथ माननीय वित्त मंत्री-सह- उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री तथा उनके शीर्षस्थ विभागीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में बैठक भी हुई थी। सम्प्रति, संबंधित आदेश/ अनुदेश को कार्यान्वित कराने की जिम्मेवारी भी राज्य सरकार की ही है। संस्थानों की शासकीय समिति इस मामले में संवेदन शून्य है। इसके लिए राज्य सरकार जब तक कठोरता पूर्वक अनुपालन नहीं करायेगी तब तक यह संभव नहीं होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साथ-साथ ०विश्वविद्यालय भी इस मामले में अपने दायित्व को सिफर्। पत्राचार तक ही सीमित रख् रहा है।

अत: उक्त संदर्भ में सरकार द्वारा प्रावधानित परीक्षफल आधारित अनुदान तथा आंतरिक स्त्रोत से प्राप्त आय के भुगतान के सम्मिश्रण के पश्चात बहुत ही अल्प व्यय-भार पर वेतनमान् आधारित घाटानुदान की पुरानी मांग को सार्थक और साकार करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- प्रो. संजय कुमार सिंह, स.वि.प.
ह./- संजीव कुमार सिंह, स.वि.प.
ह./- केदार नाथ पाण्डेय, स.वि.प.
ह./- नीरज कुमार, स.वि.प. एवं
ह./- संजीव श्याम सिंह

ज्ञापांक :- वि0प0अ0प्र0-67/2019- 414 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 13.02.2019

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, माननीय उप-मुख्यमंत्री, बिहार सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 18.02.2019 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 13.02.2019
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

विदित हो कि बांका जिला में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराये जा रहे सड़कों की स्थिति काफी जर्जर हो गई है। यहां यह उल्लेख करना परमावश्यक प्रतीत होता है कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनवाये जा रहे सड़कों का कार्य बहुत ही धीमी गति से घटिये सामग्रियों का उपयोग करते हुए बनाये जाते हैं जिसके चलते छः महीने के अंदर ही सड़क गड्ढे में परिवर्तित हो जाता है। जहां तक मेंटेनेन्स का प्रश्न है किसी भी संवेदक द्वारा कोई मेंटेनेन्स कार्य आज तक नहीं किया जाता है। विभागीय पदाधिकारियों को शियक करने पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

अतएव उक्त संदर्भ में विभागीय पदाधिकारियों एवं संवेदकों के कार्य प्रणाली को सही करने एवं दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के निमित सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- मनोज यादव,
स.वि.प.

ज्ञापांक :- वि0प0अ0प्र0-61/2019- 410 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 12.02.2019

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, माननीय उप-मुख्यमंत्री, बिहार सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 18.02.2019 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

(नवल किशोर सिंह) 12.02.2019
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य सरकार ने हर पंचायत में तैयार डिजाईन के अनुसार पंचायत सरकार भवन निर्माण की योजना बनाई है। इसके तहत 12 जिलों में 330 पंचायत सरकार भवन का निर्माण जारी है। जिन-जिन ग्राम पंचायत में जमीन उपलब्ध है, वहां पंचायत सरकार भवन निर्माण कर पंचायत के लोगों को संवैधानिक सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार के निर्णयानुसार आर.टी.पी.एस. काउंटर खोले जा चुके हैं और वहां के लोगों को संवैधानिक सुविधाएं मिल रही हैं।

अत: मैं पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु तैयार डिजाईन के अनुसार जमीन अनुपलब्धता की स्थिति में पूर्व से निर्मित पंचायत भवनों में ही फिलहाला आर.टी.पी.एस. काउंटर खोलने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सोनेलाल मेहता,
स.वि.प.

ज्ञापांक :- बि0प0अ0प्र0-54/2019- 377 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 07.02.2019

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, माननीय उप-मुख्यमंत्री, बिहार सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पंचायती राज विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 18.02.2019 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 07.02.2019
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

बिहार का किसान राष्ट्रीय स्तर पर धान एवं गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में अन्य राज्यों की अपेक्षा प्रतिस्पर्द्धा में उदासीन है। इसका मुख्य कारण बिहार सरकार की प्रोत्साहन नीति में तकनीकी कमी तथा सरकार के द्वारा धान समर्थन मूल्यों का समय पर भुगतान होने वाला प्रक्रियात्मक विलम्ब है। सूबे के किसानों के द्वारा प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर से लेकर 15 दिसम्बर तक धान की कटाई कर धान तैयार कर लिया जाता है। किसान अपने उत्पादन को सरकारी धान क्रय केन्द्रों पर बिक्री करने एवं मूल्य प्राप्ति के लिए जाते हैं परन्तु स्थानीय क्रय केन्द्रों द्वारा धान में नमी बताकर क्रय करने से इनकार कर दिया जाता है। दूसरी ओर बड़े किसानों को धान क्रय में प्राथमिकता दी जाती है। ऐसी परिस्थिति में छोटे किसान बिचौलियों के द्वारा अपने उत्पादन को आने-पौने पर बेचने हेतु विवश हो जाते हैं जिससे उनका उत्पादन पूंजी का रूप नहीं ले पाता है। ससमय भुगतान नहीं होने के कारण अगले फसल की बुआई प्रभावित हो जाती है। आजीवन कर्ज में डूबे रहने से उनमें कृषि कार्य के प्रति उदासीनता व्याप्त है। छोटे किसानों के द्वारा उत्पादन अधिक होने पर भी विपणन की सही प्रक्रिया एवं व्यवस्था जिम्मेवार है। जबकि सरकार की धान क्रय नीति से शुद्ध लाभ बड़े पूंजीपति किसान एवं बिचौलियों को मिल जाता है।

अतएव मैं सदन में सरकार से धान क्रय प्रक्रिया में विलंब तथा मूल्य निर्धारण करने की जटिल प्रक्रिया में संशोधन करने तथा हर वर्ष 30 दिसम्बर तक धान क्रय कर किसानों को समुचित भुगतान सुनिश्चित करने के संबंध में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- आदित्य नारायण पाण्डेय,
स.वि.प.

ज्ञापांक :- वि0प0अ0प्र0-53/2019- 378 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 07.02.2019

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, माननीय उप-मुख्यमंत्री, बिहार सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ कृषि विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 18.02.2019 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 07.02.2019
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्